झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

अधिसूचना

झारखण्ड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली– 2019

सं०–07/पत्रकार–02–02/2019–ज.स.नि....................../ राँची, दिनांक –......................../

भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधीन "झारखण्ड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019" को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एंव प्रारंभ** – यह नियमावली ''झारखण्ड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019'' कहलायेगी। इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
2. **परिभाषाएं** – इस नियमावली में यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो–

2.1 ''राज्य'' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य;

2.2 ''सरकार'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार;

2.3 ''विभाग'' से अभिप्रेत है, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग;

2.4 ''निदेशालय'' से अभिप्रेत है, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अन्तर्गत जनसम्पर्क निदेशालय;

2.5 **''प्रधान सचिव/सचिव'' से अभिप्रेत है :–** प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग;

2.6 ''निदेशक'' **से अभिप्रेत है** निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय;

2.7 **''प्रभारी प्रेस'' से अभिप्रेत है :–** सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधीन जनसम्पर्क निदेशालय के प्रेस शाखा के प्रभारी;

2.8 **''अधिमान्यता'' से अभिप्रेत है:–** झारखण्ड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता (संशोधन) नियमावली 2019 के द्वारा प्रदत्त अधिमान्यता;

2.9 **मीडिया/मीडिया कर्मी/पत्रकार से अभिप्रेत है–**

(i) वह व्यक्ति (पत्रकार/संपादक/समाचार संपादक/ब्यूरो/ब्यूरो प्रमुख/उप संपादक/सहायक संपादक/छायाकार–पत्रकार/वीडियोग्राफर–पत्रकार/व्यंग्यचित्रकार–पत्रकार जो किसी दैनिक या साप्ताहिक या पाक्षिक समाचार पत्र/साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक पत्रिका/समाचार ऐजेन्सी/इलेक्ट्रोनिक मीडिया आदि में कार्य कर रहे हो तथा The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) And Miscellaneous Provisions Act, 1955 की कंडिका–2 (f) में परिभाषित किए गए हों।

3. **पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की पात्रता** – पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की पात्रता के लिए निम्नलिखित सभी शर्तें अनिवार्य होंगी–

3.1 राज्य में किसी एक या एक से अधिक मीडिया में नियमित और पूर्णकालिक पत्रकार हों।

3.2 किसी भी मीडिया संस्थान से अथवा केन्द्र या राज्य सरकार से पेंशनधारी न हो।

3.3 उनके द्वारा न्यूनतम 20 वर्षों की सेवा झारखण्ड राज्य में अथवा 15 नवम्बर 2000 से पूर्व अविभाजित राज्य के उस हिस्से में जो वर्तमान में झारखण्ड राज्य के रूप में अभिहित है, में नियमित एवं पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में होनी आवश्यक है।

(a) पत्रकार को प्रत्येक वर्ष के वेतन/पारिश्रमिक के सत्यापन के लिए मीडिया संस्थान/संस्थानों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कोष में न्यूनतम 20 वर्षों तक राशि जमा करने का पूर्ण ब्यौरा देना होगा, ताकि उनके 20 वर्षों की सेवा का सत्यापन प्रमाणित हो सके।

3.4 ऐसे पत्रकार जो 1 जनवरी, 2015 को या उसके उपरांत 58 वर्ष की आयु पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में मीडिया संस्थान/संस्थानों में पूरी कर ली हो तथा मीडिया संस्थान से 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो गए हों, उन्हें ही इस पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का लाभ देय होगा। जिन मीडिया संस्थानों में 58 वर्ष के बाद सेवा निवृत्ति की तिथि निर्धारित है, वैसे पत्रकारों को मीडिया संस्थान से सेवा निवृत्ति की तिथि के उपरांत देय होगा।

3.5 ऐसे पत्रकार जिन्हें सेवा निवृत्ति की तिथि के समय विभाग द्वारा अधिमान्यता (Accreditation) प्राप्त हो।

3.6 आपराधिक मामले में सजायाफ्ता ना हों। पेंशन योजना की पात्रता की स्वीकृति के बाद भी यदि लाभार्थी को आपराधिक मामले में या किसी अन्य मामले में दो वर्षों से अधिक सजा हो जाती है तो उसे मिल रहे पेंशन के लाभ को रद्द कर दिया जायेगा। पेंशन पाने वाले को एक शपथ पत्र देना होगा कि वे आपराधिक मामले या किसी अन्य मामले में सजायफ्ता नहीं है। यदि जांच के क्रम में यह पाया जाता है कि उन्होंने इस तथ्य को छुपाया है तो पेंशन अस्वीकृत करते हुए दी गई राशि की वसूली की जायेगी ।

4. **झारखण्ड पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि–**

4.1 झारखण्ड पत्रकार पेंशन की राशि रूपये 7,500/–(सात हजार पांच सौ) प्रतिमाह होगी।

4.2 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, झारखण्ड, रांची द्वारा पत्रकार पेंशन योजना की राशि का भुगतान **"झारखण्ड पत्रकार कल्याण कोष"** के माध्यम से किया जाएगा।

5. **झारखण्ड पत्रकार पारिवारिक सम्मान पेंशन–** झारखण्ड पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के लाभुक पत्रकार की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति/पत्नी को जीवनपर्यन्त पेंशन की राशि का 50 प्रतिशत देय होगी, बशर्त्ते वे सरकारी सेवा में कार्यरत न हों, और ना ही सरकारी सेवा से सेवा–निवृत्त होकर पेंशन योजना से पेंशन प्राप्त करते हों।

6. पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की अवधि – पत्रकार सम्मान पेंशन, मीडिया कर्मियों को 58 वर्ष तथा सेवा निवृत्ति के उपरांत उनके जीवन पर्यन्त दी जाएगी। पेंशन धारी लाभुक मीडिया कर्मी के निधन के उपरान्त पारिवारिक पेंशन का लाभ आश्रित पति/पत्नी को जीवन पर्यन्त दी जाएगी।

7. झारखण्ड पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की अन्य शर्ते–

7.1 पात्र पत्रकार को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा, जिससे उनके बैंक खाते में झारखण्ड पत्रकार पेंशन की राशि ऑनलाइन अंतरित की जा सके।

7.2 पत्रकार सम्मान पेंशन की स्वीकृति के लिए संबंधित मीडिया कर्मी को विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र निम्नलिखित कागजात (जो संगत हो) आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को प्रस्तुत करना होगाः–

(a) 20 वर्ष तक झारखण्ड राज्य में नियमित एवं पूर्णकालिक पत्रकार होने संबंधित स्वघोषित शपथ–पत्र।

(b) जिस मीडिया संस्थान/संस्थानों में पत्रकार/छायाकार कार्यरत रहे हों, उनके संपादक द्वारा उनके नियमित एवं पूर्णकालिक पत्रकार की सेवा अवधि से संबंधित प्रमाण पत्र।

(c) पत्रकार को प्रत्येक वर्ष के वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक के सत्यापन के लिए मीडिया संस्थान/संस्थानों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में संस्थानों द्वारा जमा की गई राशि की पूर्ण विवरणी जिससे आवेदक पत्रकार की 20 वर्ष की पत्रकार के रूप में सेवा प्रमाणित हो सके।

(d) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अंशदान का सत्यापन सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के द्वारा ईपीएफ कार्यालय से कराया जाएगा।

(e) सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा प्राप्त अधिमान्यता का प्रमाण पत्र।

(f) पेंशन प्राप्त करने वाले प्रतिनिधि प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में संबधित जिला के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से जीवित प्रमाण प्रत्र समर्पित करेंगें। जीवित प्रमाण पत्र प्राप्त नही होने की स्थिति में पेंशन रोक दी जाएगी।

(g) राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रभारी पदाधिकारी (प्रेस) तथा जिलास्तर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा आवेदक एवं उनके आश्रित के फोटो को अभिप्रमाणित किया जाएगा।

(h) पहचान के लिए फोटो के अतिरिक्त आधार कार्ड/पैनकार्ड/फोटोयुक्त पहचान पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

8. पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की स्वीकृति निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय स्क्रीनिंग समिति के द्वारा दी जायेगी–

8.1 स्क्रीनिंग समिति का स्वरूप निम्नवत होगाः–

(i)	निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय	–	अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी (उप सचिव स्तर से अन्यून)	–	सदस्य

१५/

(iii) प्रधान सचिव/सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी (उप सचिव स्तर से अन्यून) – सदस्य

(iv) हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू दैनिक समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के तीन नामित प्रतिनिधि – सदस्य

(v) उप निदेशक (प्रभारी, प्रेस प्रशाखा), जनसम्पर्क निदेशालय, झारखण्ड – सदस्य सचिव

8.2 उक्त स्क्रीनिंग समिति में प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा। कोई भी व्यक्ति स्क्रीनिंग समिति के सदस्य के रूप में केवल एक बार ही नामित होंगे।

8.3 स्क्रीनिंग समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार आहूत की जायेगी।

9. इस नियमावली के अधीन पत्रकार सम्मान पेंशन की स्वीकृति के लिए विभागीय सचिव सक्षम प्राधिकार होगा।

10. इस नियमावली के अधीन झारखण्ड पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था का निर्माण करने तथा आवश्यक आवेदन प्रपत्र, जांच प्रपत्र, स्वघोषणा प्रारूप आदि के निर्माण एवं समय–समय पर आवश्यकतानुसार प्रक्रियात्मक संशोधन के लिए निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय सक्षम प्राधिकार होंगे।

11. यदि यह पाया गया कि गलत तथ्यों के आधार पर अथवा छल–साधन करके वित्तीय लाभ प्राप्त किया गया है, तो सूचना जनसम्पर्क निदेशालय सत्यापन एवं जांच करा सकता है तथा सम्मान पेंशन रद्द करने सहित सभी विधिसम्मत कार्रवाई कर सकता है।

12. यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

उपर्युक्त पर दिनांक 27.08.2019 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या –15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(रमाकान्त सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–07/पत्रकार–02–02/2019–ज.स.नि....................../ **रांची, दिनांक ..../**

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, पो0 हिनू/सहायक निदेशक (झारखण्ड गजट के नोडल पदाधिकारी) को झारखण्ड गजट में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–07/पत्रकार–02–02/2019–ज.स.नि....510..../ **रांची, दिनांक ..16/09/19../**

प्रतिलिपि : सरकार के सभी प्रधान सचिव/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/सभी विभागाध्यक्ष/सभी आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित सहायक निदेशक (बजट)/सहायक निदेशक (लेखा)/सभी उप जनसम्पर्क निदेशक (क्षेत्र), रांची/दुमका/ हजारीबाग/ सभी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव